

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 245/2011.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान-श्रीमति रसीदा बानो धर्मपत्नी श्री मेहबुब अली जाति-लौहार, बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, बीकानेर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी-सदस्य</p> <p>प्रार्थीया निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थीया के अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके विचाराधीन निगरानी को विद्वान करने की अनुमति प्रदान करे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 245/2011/बीकानेर जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	<p style="text-align: right;">17.02.2016</p> <p style="text-align: center;">(मनोहर पुरी) सदस्य</p>